न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 47 / 2024
दायर दिनांक : 07 / 10 / 2024
निर्णय दिनांक : 07 / 01 / 2025

उनवान

1. रतनलाल पिता भगवानलाल खटीक निवासी राणावतों की सादडी तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. गीता पुत्री रामा पत्नी भगवानलाल खटीक निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
2. तहसीलदार, भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री नरेन्द्रकुमार दाधीच, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री रामलाल बैरवा, अधिवक्ता अप्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि उक्त उनवान का वादपत्र वादी ने ठोस तथ्यों के आधार पर न्यायालय आप में प्रस्तुत किया है जिसकी कुलिया सुनवाई होने में समय लगेगा। यह कि ग्राम राणावतों की सादडी पटवार हल्का पटोलिया तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में वर्तमान खाता सं. 243 में आ.स. 1028 रकबा 0.40 है., आ.सं. 1029 रकबा 0.23 है., आ.सं. 1030 रकबा 0.23 है. किता 3 रकबा 0.86 है. स्थित है, जो वर्तमान में अप्रार्थी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी में अंकित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी 1 एक ही परिवार के सदस्य होकर पारिवारिक सजरा प्रार्थना पत्र में अंकित है। मृतक रामा के कोई मर्द औलाद नहीं होने से रामा के भाई भगवानलाल के बडे लडके रतनलाल अर्थात प्रार्थी ने मृतक रामा का परिवार का बडे पुत्र की हैसियत से उनका सामाजिक कियाकर्म पिण्ड दान आदि किया और उनकी सामाजिक पगडी प्रार्थी को बंधाई मृतक रामा का स्वर्गवास दिनांक 11.01. 2017 को हो गया जिसका सामाजिक कियाकर्म दिनांक 21.01.2017 को सम्पन्न हुआ उस दिन समाज व परिवार के सदस्यों ने मिलकर भगवानलाल के बडे बेटे रतनलाल को पगडी बंधाई और गोदपुत्र घोषित किया और उस कार्यक्रम का सारा खर्चा रतनलाल ने वहन किया। जिसकी लिखापढी अप्रार्थी गीता द्वारा दिनांक 2101.2017 को प्रार्थी के हक में लिखी गई लेकिन उसमें सहवन से प्रार्थी के नाम के बजाय उसके पिता भगवानलाल का नाम लिख दिया जबकि प्रार्थी के पिता भगवानलाल का स्वर्गवास वर्ष 2009 मे पहले ही हो चुका था लेकिन स्टाम्प में रतनलाल के बजाय भगवानलाल लिखा दिया जो सहवन से लिखा गया है लेकिन समाज व गुरु पंचो द्वारा मृतक रामा की सामाजिक पगडी प्रार्थी को बंधाई तथा मृतक रामा की निजी चल व अचल सम्पत्ति को

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.18 17:22:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

उत्तराधिकारी रतनलाल को घोषित किया और उसकी समय से ही प्रार्थी ही मृतक रामा की चल अचल सम्पत्ति पर काबिज होकर उत्तराधिकारी के रूप में उपयोग उपभोग कर रहा है। इसलिए मृतक रामा के खातेदारी आराजी का प्रार्थी ही एकमात्र गोदपुत्र होकर उत्तराधिकारी है इसलिए मृतक रामा के खातेदारी आराजियात का प्रार्थी को खातेदारी घोषित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी ही मृतक रामा की चल अचल सम्पत्ति का उपयोग उपभोग कर रहा है चूंकि विरासत से मृतक रामा की खातेदारी आराजियात अप्रार्थी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गयी है जिसका जरिये इन्द्राज दुरूस्त कर प्रार्थी को गोदपुत्र की हैसियत से खातेदार गीता के बजाय रतनलाल मुतबन्ना रामा दर्ज किया जाना आवश्यक है अगर इन्द्राज दुरूस्त व खातेदारी घोषणा प्रार्थी के पक्ष में नहीं की गई तो प्रार्थी को अपने हक अधिकार से वंचत होना पडेगा और काफी आर्थिक नुकसान होगा। अतः पक्षप्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण के अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश इस आशय का जारी फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र की कॉलम सं. 2 में वर्णित राजस्व रिकार्ड में विरासत से रामा के बजाय अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज दर्ज हो जानेसे इसका नाजायज लाभ प्राप्त कर अप्रार्थी सं. 1 उक्त आराजियात को अन्य दीगर व्यक्तियों के रहन, बहस, बक्षीस नहीं करें और प्रार्थी को उसके कब्जे से बेदखल नहीं करें तथा अप्रार्थी सं. 2 विवादित आराजियात से संबंधित किसी भी दस्तावेज का नामान्तरण नहीं करें, पंजीयन नहीं करे रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखें। किसी प्रकार से हस्तान्तरति नहीं करें न खुद ऐसा करें न अपने परिवार के सदस्य या नौकर एजेंट से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल गुर्जर ने अधिकार पत्र व जवाब पेश किया। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में कथन किया कि उक्त उनवान का वाद पेश होना, कॉलम दो अंकित आराजियात स्थित होना व राजस्व रिकार्ड में मुझ प्रतिवादिया गीता के नाम पर जमाबंदी में दर्ज होना स्वीकार है। कॉलम तीन स्वीकार है। कॉलम चार गलत होने से स्वीकार नहीं है, मृतक रामा जी की मृत्यु के उपरान्त सामाजिक कियाकर्म मुझ अप्रार्थिया गीता द्वारा किया गया और मैं अप्रार्थिया ही मृतक रामाजी की एकमात्र जाईन्दा वारिस हूं प्रार्थी रतनलाल के मृतक रामाजी ने पगडी नहीं बंधवाई थी न ही रतनलाल के पक्ष में मैने कोई स्टाम्प लिखकर निष्पादित किया मृतक रामाजी की मैं जायन्दा वारिस होने के कारण चल व अचल सम्पत्ति में मुझ अप्रार्थिया का ही अधिकार है तथा रामा के बजाय मुझ अप्रार्थिया का नाम जमाबंदी में दर्ज हो गया जो सही है तथा उक्त आराजियात का उपयोग उपभोग भी मैं अप्रार्थिया ही करती आ रही हूं और प्रार्थी रतनलाल को कभी भी रामाजी ने गोद नहीं लिया सभी तथ्य मनगढंत अंकित किये हैं। कॉलम पांच गलत होने से अस्वीकार है। मृतक रामाजी की चल अच सम्पत्ति मुझ अप्रार्थिया गीता की पैतृक होने से कब्जा मुझ अप्रार्थिया का ही चला आ रहा है। प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है और मेरे पिता ने प्रार्थी रतनलाल को कभी गोद नहीं रखा था क्योंकि मृतक रामाजी की सेवा चाकरी करने वाली मैं अप्रार्थिया एकमात्र जायन्दा वारिस थी। कॉलम सं. छः गलत होने से अस्वीकार है। मुझ प्रतिवादिया की पैतृक सम्पत्ति होने से मेरे नाम पर है प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नहीं है और अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से [illegible] पैतृक सम्पत्ति से महरूम रह जाउंगी, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जा[illegible] उभयपक्ष की बहस सुनी गई, हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत दस्तावेजों [illegible] किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहन[illegible] विचार किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.18 17:22:20 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी द्वारा अपने कथन की पुष्टि में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये हैं। सम्पूर्ण तथ्यों, बहस के आधार पर एवं

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

प्रार्थीगण के प्रार्थना के तथ्य अनुसार प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन साबित नहीं कर पाऐ है तथा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं न्यायिक दृष्टांत से प्रकरण अप्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है तथा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया जाता है कि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा को जारी किया जावे। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा किसी प्रकार से प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.18 17:22:20 IST
Reason: SelfAttested